



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2004/फाल्गुन 22, 1925

No. 129 ]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2004/PHALGUNA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2004

सा.का.नि. 189(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2004 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो रकम की प्राप्ति के समय कम्पनी का निदेशक था, या किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा किसी निदेशक के नातेदार या उसके सदस्य से प्राप्त कोई रकम :

परन्तु यह कि यथास्थिति, ऐसा निदेशक, निदेशक का नातेदार या सदस्य जिससे धन प्राप्त किया जाता है, धन देते समय कम्पनी को इस भाव की लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि यह रकम उसके द्वारा अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या ग्रहण करके अर्जित की गई निधियों में से नहीं दी जा रही है”।

[फ्र. सं. 5/12/2001-सीएल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 43(अ), तारीख 3-2-1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :—

1. का.आ. 525(अ) तारीख 18-9-1975
2. का.आ. 684(अ) तारीख 29-11-1975
3. सा.का.नि. 427(अ) तारीख 29-6-1976
4. सा.का.नि. 820(अ) तारीख 24-9-1976
5. सा.का.नि. 965(अ) तारीख 29-12-1976
6. सा.का.नि. 385(अ) तारीख 17-6-1977
7. सा.का.नि. 386(अ) तारीख 17-6-1977
8. सा.का.नि. 424(अ) तारीख 27-6-1977
9. सा.का.नि. 793(अ) तारीख 30-12-1977
10. सा.का.नि. 200(अ) तारीख 30-3-1978
11. सा.का.नि. 252(अ) तारीख 27-4-1978
12. सा.का.नि. 341(अ) तारीख 29-6-1978
13. सा.का.नि. 378(अ) तारीख 17-7-1978
14. सा.का.नि. 586(अ) तारीख 21-12-1978
15. सा.का.नि. 109(अ) तारीख 21-3-1980
16. सा.का.नि. 185(अ) तारीख 1-4-1980
17. सा.का.नि. 380(अ) तारीख 24-6-1980
18. सा.का.नि. 435(अ) तारीख 18-7-1980
19. सा.का.नि. 546(अ) तारीख 24-9-1980
20. सा.का.नि. 187(अ) तारीख 20-3-1981
21. सा.का.नि. 44(अ) तारीख 12-1-1982
22. सा.का.नि. 286(अ) तारीख 19-3-1985
23. सा.का.नि. 372(अ) तारीख 19-4-1985

24. सा.का.नि. 482(अ) तारीख 5-6-1985
25. सा.का.नि. 7(अ) तारीख 2-1-1986
26. सा.का.नि. 385(अ) तारीख 1-4-1987
27. सा.का.नि. 620(अ) तारीख 1-7-1987
28. सा.का.नि. 850(अ) तारीख 12-10-1987
29. सा.का.नि. 551(अ) तारीख 7-6-1990
30. सा.का.नि. 39(अ) तारीख 10-1-1992
31. सा.का.नि. 814(अ) तारीख 19-10-1992
32. सा.का.नि. 744(अ) तारीख 10-12-1993
33. सा.का.नि. 767(अ) तारीख 1-12-1995
34. सा.का.नि. 385(अ) तारीख 24-5-2001
35. सा.का.नि. 689(अ) तारीख 25-9-2001
36. सा.का.नि. 873(अ) तारीख 28-11-2001
37. सा.का.नि. 77(अ) तारीख 4-2-2002
38. सा.का.नि. 300(अ) तारीख 3-4-2003
39. सा.का.नि. 323(अ) तारीख 9-4-2003
40. सा.का.नि. 774(अ) तारीख 29-9-2003

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2004

**G.S.R. 189(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 58A read with sub-clauses (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, in clause (b), for sub-clause (ix), the following sub-clause shall be substituted, namely:—  
“(ix) any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company or any amount received from a relative of a director or its member by a private company :

Provided that the director, relative of a director or member, as the case may be, from whom money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others”.

[F. No. 5/12/2001-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

**Note:**—The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 published *vide* Notification No. G.S.R. 43(E) dated 3-2-1975, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 3-2-1975, subsequently amended by Notification No.—

1. S.O. 525(E) dated 18-9-1975
2. S.O. 684(E) dated 29-11-1975
3. G.S.R. 427(E) dated 29-6-1976
4. G.S.R. 820(E) dated 24-9-1976
5. G.S.R. 965(E) dated 29-12-1976
6. G.S.R. 385(E) dated 17-6-1977
7. G.S.R. 386(E) dated 17-6-1977
8. G.S.R. 424(E) dated 27-6-1977
9. G.S.R. 793(E) dated 30-12-1977
10. G.S.R. 200(E) dated 30-3-1978
- 1.1 G.S.R. 252(E) dated 27-4-1978
12. G.S.R. 341(E) dated 29-6-1978
13. G.S.R. 378(E) dated 17-7-1978
14. G.S.R. 586(E) dated 21-12-1978
15. G.S.R. 109(E) dated 21-3-1980
16. G.S.R. 185(E) dated 1-4-1980
17. G.S.R. 380(E) dated 24-6-1980
18. G.S.R. 435(E) dated 18-7-1980
19. G.S.R. 546(E) dated 24-9-1980
20. G.S.R. 187(E) dated 20-3-1981
21. G.S.R. 44(E) dated 12-1-1982
22. G.S.R. 286(E) dated 19-3-1985
23. G.S.R. 372(E) dated 19-4-1985
24. G.S.R. 482(E) dated 5-6-1985
25. G.S.R. 7(E) dated 2-1-1986
26. G.S.R. 385(E) dated 1-4-1987
27. G.S.R. 620(E) dated 1-7-1987
28. G.S.R. 850(E) dated 12-10-1987
29. G.S.R. 551(E) dated 7-6-1990
30. G.S.R. 39(E) dated 10-1-1992
31. G.S.R. 814(E) dated 19-10-1992
32. G.S.R. 744(E) dated 10-12-1993
33. G.S.R. 767(E) dated 1-12-1995
34. G.S.R. 385(E) dated 24-5-2001
35. G.S.R. 689(E) dated 25-9-2001
36. G.S.R. 873(E) dated 28-11-2001
37. G.S.R. 77(E) dated 4-2-2002
38. G.S.R. 300(E) dated 3-4-2002
39. G.S.R. 323(E) dated 9-4-2003
40. G.S.R. 774(E) dated 29-9-2003